न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, सुलतानपुर।

पीठासीन राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(J.O. Code- UP2397)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-89/2007

UPST010000302007

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**।

बनाम

1. तालुकदार सिंह उम्र 58 वर्ष अहोरवा बक्श सिंह
2. ज्वालाबक्स सिंह उम्र 37 वर्ष पुत्र तालुकदार सिंह निवासीगण ग्राम दिहौली, थाना भाले सुल्तान, जिला अमेठी।

.....**अभियुक्तगण**।

मु0 अ0 सं0-सी०सी०नं०-09/2007
धारा-323,504,506,427 भा०दं०सं०
व धारा-3(1)(10) एस०सी०एस०टी०एक्ट
थाना-जगदीशपुर, जिला-सुलतानपुर।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक	1. श्री गोरखनाथ शुक्ला
विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष	1. श्री अमित पाण्डेय

1.	एफ०आई०आर० दर्ज करने की तिथि	06.04.2007
2.	आरोप पत्र की तिथि	22.07.2007
3.	आरोप विरचित करने की तिथि	27.11.2007
4.	साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	28.05.2009
5.	निर्णय की तिथि	01.04.2026

निर्णय

1. अभियुक्तगण तालुकदार सिंह व ज्वालाबक्स सिंह का विचारण न्यायालय द्वारा थाना-जगदीशपुर, जिला-अमेठी की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-सी०सी०नं०-09/2007, अन्तर्गत धारा-323,504,506,427 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10)

एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किये जाने पर किया गया।

2. संक्षेप में वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट इस प्रकार है कि "दिनांक-18.02.2007 को समय 10.30 बजे रात्रि विपक्षीगण शराब के नशे में उसके दरवाजे पर आये और जातिसूचक तोड़ने लगे। आवेदक डर की वजह से दरवाजा नहीं खोला तो विपक्षीगण लाठी से उसके पुराने दरवाजे को तोड़ दिया और घर में घुस कर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। विपक्षीगण ने आवेदक उसकी बहन गुड्डी व उसकी पत्नी कुसुमा की मारा पीटा एवं कट्टे के बट से सिर पर मारा। उसके शोर पर उसका छोटा भाई छत पर चढ़ कर हल्ला मचाया तो गांव के बहुत से लोग आ गये जिन्होने घटना देखी व बीच बचाव किया। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। आवेदक ने घटना की सूचना थाना जगदीशपुर में दिया कोई कार्यवाही नहीं हुई तब उसने चोटहिलों का डाक्टरी परीक्षण कराया।"

3. वादी मुकदमा वीरेन्द्र पासी की उपर्युक्त लिखित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० के आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा थाना जगदीशपुर, जिला अमेठी को मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके आधार पर थाना हाजा में मु०अ०सं०-सी०सी०नं०-09/2007, धारा-323,504,506,452,427 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत दिनॉक-06.04.2007 को पंजीकृत किया गया जिसका विवरण जनरल डायरी में अंकित किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटना स्थल का निरीक्षण तैयार करके नक्शा नजरी तैयार की गयी। विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान एकत्रित करने के पश्चात अभियुक्तगण तालुकदार सिंह एवं ज्वाला बक्श सिंह का विचारण इस न्यायालय द्वारा थाना-जगदीशपुर, जिला-अमेठी की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०-सी०सी०नं०-09/2007, धारा-323,504,506,427 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक-17.08.2007 को प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा अपनी-अपनी जमानतें करायी। प्रस्तुत सत्र परीक्षण दाण्डिक वाद में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-323,504,506,427 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत दिनांक-27.11.2007 को आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को

पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की याचना की।

5. अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः-

क्रम सं०	साक्षी संख्या	साक्षी नाम
1.	**पी०डब्लू०-1**	**वीरेन्द्र (वादी मुकदमा)**
2.	**पी०डब्लू०-2**	**श्रीमती गुड्डी**
3.	**पी०डब्लू०-3**	**श्रीमती कुसुमा**
4.	**पी०डब्लू०-4**	**डा० आर०एल० यादव**
5.	**पी०डब्लू०-5**	**राम किशोर**

6. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं :-

क्रम सं०	प्रदर्श	प्रपत्र	साबित करने वाले साक्षी का नाम
1.	**प्रदर्श क-1**	**प्रार्थना पत्र (पुलिस अधीक्षक)**	**वीरेन्द्र**
2.	**प्रदर्श क-2**	**प्रार्थना पत्र (मानवाधिकार आयोग)**	**वीरेन्द्र**
3.	**प्रदर्श क-3**	**रजिस्ट्री रसीद**	**वीरेन्द्र**
4.	**प्रदर्श क-4**	**फोटोग्राफ (टूटा दरवाजा)**	**वीरेन्द्र**
5.	**प्रदर्श क-5**	**प्रार्थना पत्र (धारा-156(3) दं०प्र०सं०)**	**वीरेन्द्र**
6.	**प्रदर्श क-6**	**शपथ पत्र**	**वीरेन्द्र**
7.	**प्रदर्श क-7**	**आघात आख्या (गुड्डी)**	**डा० आर०एल० यादव**
8.	**प्रदर्श क-8**	**आघात आख्या (कुसुमा)**	**डा० आर०एल० यादव**
9.	**प्रदर्श क-9**	**आघात आख्या (वीरेन्द्र)**	**डा० आर०एल० यादव**
10.	**प्रदर्श क-10**	**चिक एफ०आई०आर०**	**राम किशोर**
11.	**प्रदर्श क-11**	**जी०डी०**	**राम किशोर**
12.	**प्रदर्श क-12**	**नक्शा-नजरी**	**राम किशोर**
13.	**प्रदर्श क-13**	**आरोप-पत्र**	**राम किशोर**

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण की परीक्षा अन्तर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक-05.01.2026 को अंकित की गयी। अभियुक्तगण द्वारा घटना को गलत बताते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा दिये गये बयानों को रंजिशन एवं गलत बयान दिया जाना बताया है।

8. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तार से सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली एवं साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

9. यह सुस्थापित विधि है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करे, जिसके बावत् अभियोजन द्वारा निम्नलिखित साक्षीगण को प्रस्तुत किया गया है। विवेचनात्मक विश्लेषण हेतु मुख्य परीक्षा में निम्नवत् बयान प्रस्तुत किया हैः-

10. **<u>साक्षी पी0 डब्लू0-1 वीरेन्द्र (वादी मुकदमा)</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "घटना आज से दो वर्ष तीन माह पहले की है। 10.30 बजे का समय था। मैं घर के आँगन में लेटा था, बिजली जल रही थी जिससे काफ़ी रोशनी थी। तालुकदार व ज्वालाबख्श गाली देते हुए मेरे घर के दरवाज़े पर पहुँचे और कहा कि पासी साले तुमको दारू लाने के लिए कहा क्यों नहीं लाये। मैं काम से आया था काफ़ी थका था यह कहते हुए दरवाज़े को लाठी के हूरे से ठोकते हुए तोड़कर खोल दिया और हमको लाठी से मारना शुरू कर दिया। मेरी औरत कुसुमा व बहन गुड्डी छुड़ाने गई तो उसको भी मारना शुरू कर दिया। छत पर मेरा भाई महेंद्र लेटा था, वह भी आ गया। छत से गुहार मचाया तो हम को खींचकर के बाहर नल के पास लाए वहाँ पर भी लाठी डंडा व कट्टे की बट से मारना शुरू कर दिया। ज्वालाबक्स कट्टे की बट से मारना शुरू किए गोहार गाँव के राम अवध कुमार, देवी सर्वा सिंह, अन्नू सिंह तथा अन्य लोग आ गए जिन्होंने घटना देखा तथा बीच बचाव किया। तालुकदार ने कहा कि पासी साले आज तो बच गए कल अगर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो तुम्हें व तुम्हारे घर वालों को जलाकर राख कर देंगे और मार डालेंगे। यह कहते हुए चले गए। रात भर डरवश घर में बैठा था सुबह होने पर थाने गया वहाँ पर मुंशी से घटना की तहरीर दी है उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, तब सी०ओ० साहब के यहाँ गए वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं न होने पर कप्तान साहब के यहाँ एवं मानवाधिकार आयोग के ज़रिए रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र टाइप कराकर अपना अंगूठा लगाकर दिया था। वहाँ से भी कार्रवाई न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीवानी में धारा-156 (3) दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रार्थना पत्र टाइर करा कर दिया। न्यायालय के आदेश से थाना जगदीशपुर में रिपोर्ट लिखी गई

जिसके आधार पर मुक़दमा पंजीकृत किया गया। CO साहब ने मेरा बयान लिया। पुलिस अधीक्षक को व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के यहाँ भेजे गए कार्बन प्रति रजिस्ट्री की तस्वीर शामिल पत्रावली है, जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है जिसे गवाह को पढ़कर सुनाया व दिखाया गया। जिस पर प्रदर्श क-1 ता प्रदर्श क-3 डाला गया। टूटा हुआ दरवाज़ा की फोटो शामिल पत्रावली को देखकर गवाह ने कहा कि यही टूटा दरवाज़ा की फोटो है जिस पर मेरा निशानी अँगूठा लगा है, जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० को गवाह को पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि यही प्रार्थना पत्र है जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है, जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। शपथपत्र शामिल पत्रावली गवाह को दिखाया गया तो उसने कहा कि यह मेरे द्वारा तैयार किया गया है जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। मैं, मेरी पत्नी व अपनी बहन की चोटों को डॉक्टरी मुआयना CHC जगदीशपुर में हुआ था जो कागज संख्या 10 ख 2 शामिल पत्रावली है, जिसे गवाह ने कहा कि CO साहब को मैंने जो रिपोर्ट दिया था यह उसकी छायाप्रति है।"

11. **साक्षी पी0 डब्ल्यू-02 श्रीमती गुड्डी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "घटना हुए तीन साल जो महीना हुआ। 10:30 बजे रात का समय था, मैं सो रही थी। मेरा भाई वीरेंद्र भी सो रहा था जब मेरे दरवाजे पर मुलजिमान गाली दे देते हुए आए तब मेरी नीद खुली। मुलजिमान पासी कहते हुए बहन बिटिया की गाली वीरेंद्र को कहते हुए दे रहे थे कि तुम दारू क्यों नहीं ले आये और दरवाजा पीट रहे थे और गाली दे रहे थे उस समय लाइट आ गई थी। उसके बाद दरवाजा टूट गया वीरेंद्र ने गाली देने से मना किया दारू ठेके से आपके लिए नहीं ले आ पाया मैं थका और सो गया तब मेरे भाई को गाली देकर बाहर ले जाकर कट्टे की बट से व लाठी से मारने लगे। जब मैं, भाभी कुसुम बचाने गए तो उन्हें भी लाठी डंडे से मारा मेरा छोटा भाई महेंद्र छत पर सो रहा था छत पर से वह भी आ गया। गांव के राम अवध, कुंवारा देवी, सर्व सिंह व अनु सिंह आ गए इन्होंने घटना देखा हुआ बीच बचाव किया। तब मुल्जिमान धमकी देते हुए चले गए कि इस बार तो बच गए अगली बार घर फूंक देंगे व सब को जलाकर मार देंगे। रात को थाने नहीं गए सवेरे थाने गए थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। घटना में मुझे, वीरेंद्र व मेरी भाभी का सी०एच०सी० जगदीशपुर में तीनों का डॉक्टरी मुआयना हुआ था घटना के बाद गौरीगंज में सीओ साहब ने पूछताछ की थी।"

12. **साक्षी पी0 डब्ल्यू-03 श्रीमती कुसुमा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मैं अनुसूचित जाति में की हूँ। मुल्जिमान गैर अनुसूचित जाति के हैं।

घटना हुए 4 साल 6 महीने हुए। रात के 10:30 बजे का समय था मैं और मेरे पति तथा मेरी ननद गुड़िया घर के अंदर थी। मुल्जिमान आकर दरवाजा पीट रहे थे। मुलजिमान गाली बकते हुए कह रहे थे कि दारू लाकर दो मुलजिमान ने लाठी से दरवाजा तोड़ दिया और मेरे आदमी को पड़कर मारने लगे। ज्वाला बक्श कट्टा लिए थे। तालुकदार लाठी लिए थे। वीरेंद्र को कट्टे के हूरा से मारा। बचाने मै और गुड़िया दौड़े तो मुलजिमानों ने हम दोनों को भी लात मूका से मारा, झोटा पकड़ कर मेरा पटक दिया। मां बहन की बुरी बुरी गाली देने लगे जाति की गली नहीं दिए थे। हम तीनों लोगों को मुल्जिमान घर के अंदर मारे थे। मैं देवर को गुहार छत से लगाई थी तो राम अवध, सर्व सिंह, अनु सिंह आए और बीच बचाव किया। तब मुल्जिमान कहते चले गए कि अबकी बार अगर कहना नहीं मानोगे तो घर जला देंगे। आज तालुकदार अदालत में हाजिर है बाकी की हाजिरी माफी है। मेरे घर में बिजली की रोशनी में मैंने दोनों मुल्जिमानो को पहचाना था रिपोर्ट लिखाने हम लोग दूसरे दिन सवेरे थाने पर गए थे। रिपोर्ट नहीं लिखी गई फिर जगदीशपुर में 5-6 दिन बाद तीनों की डॉक्टरी हुई। मेरे आदमी ने सुल्तानपुर जाकर दरखास्त दिया था। सीओ साहब बाद में आए थे पूछताछ किए थे।"

13. **साक्षी पी0 डब्ल्यू-04 डा० आर०एल० यादव** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मैं दिनांक 24.02.2007 को सी०एच०सी० जगदीशपुर में नियुक्त था। उस दिन मैं मजरूबा गुड्डी उम्र करीब 18 वर्ष पुत्री भुल्लू पासी निवासिनी दिखौली थाना जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर वर्तमान अमेठी में समय 04.55 पी०एम० पर डॉक्टरी मुआयना किया था। उसके भाई वीरेंद्र कुमार द्वारा लाया गया था। बरवक्त मुआयना उसने बायें घुटने में दर्द बताया कोई जाहिरा चोट नहीं पाई गई। उसी दिन 4:45 बजे शाम कुसुम उम्र 20 वर्ष पत्नी वीरेंद्र कुमार पता उपरोक्त जो कि वीरेंद्र कुमार द्वारा लाई गई थी का वरवक्त मुआयना निम्न चोटें पायी गयीं-

चोट सं०-1 सिर पर 2 x 1 सेमी0 माथे पर नीलगू निशान जो की नाक की जड़ से 3 सेमी० ऊपर था। जिसका रंग हल्का काला था।

चोट सं०-2 खरोचदार चोट 0.7 x 0.3 सेमी० बायें कलाई के जोड़ पर बाहर की तरफ तथा पीछे की तरफ सूखा हुआ घाव था।

मेरी राय में चोटें साधारण प्रकृति की थी। किसी भी कुंदालय से आई थी। चोट सं०-2 रगड़ से आई थी। चोटें 5-6 दिन पुरानी थी।

उसी दिन 5:10 पी०एम० पर वीरेंद्र कुमार उम्र करीब 25 वर्ष का डॉक्टरी मुआयना किया था जो स्वयं आया हुआ था बरवक्त मुआयना निम्न चोटें पाई गई-

चोट सं०-1 सूखी हुई खराशदार चोट सफेदी लिए हुए 2 x 0.5 सेमी० सर पर दाहिनी तरफ जो की दाहिने आंख की भौं से 1 सेंमी० ऊपर थी।

<u>चोट सं०-2</u> बायें सिर पर दर्द बताया

चोट सं०-1 मेरी राय में साधारण प्रकृति की थी किसी कठोर वस्तु के रगड़ने से आई थी, पाँच दिन पुरानी थी। तीनों चोटहिलों की परीक्षण रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो शामिल मिसिल है। मजरूबान गुड्डी, कुसुम व वीरेंद्र के पहचान चिन्ह व निशानी अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है। कुसुम की चोट सं०-1 लाठी डंडे से मारने पर आना संभव है। कुसुम की चोट सं०-2 व वीरेंद्र की चोट सं०-1 लाठी मारने पर व रगड़ से आना संभव है। दिनांक 18.2.2007 की 10:30 बजे रात की होना संभव है। आहत आख्या पर क्रमशः प्रदर्श क-7, प्रदर्श क-8 व प्रदर्श क-9 डाला गया।

14. **<u>साक्षी पी0 डब्लू0-5 राम किशोर</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "मै दिनांक-06.04.2007 को थाना जगदीशपुर में बतौर कां० मोहर्रिर के पद पर नियुक्त था। वादी के न्यायालय मे दी गयी तहरीर 156(3) दं०प्र०सं० शामिल मिसिल प्रदर्श क-5 पर न्यायालय के आदेश से मु०अ०सं०-09/2007 दिनांक-06.04.2007 को 15.30 बजे विरुद्ध तालुकदार व ज्वालाबक्श सिंह के विरुद्ध धारा-323,504,506,427,452 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०एस०टी०एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसकी कायमी का इन्द्राज निकल कर जी०डी० के रपट सं०-21 उसी दिन पंजीकृत किया। मेरे द्वारा लिखी गयी चिक व जी०डी० की कार्बन प्रति शामिल मिसिल है। चिक पर प्रदर्श क-10 व जी०डी० की कार्बन प्रति पर प्रदर्श क-11 डाला गया। सीताराम यादव मेरे सी०ओ० थे। मै उनकी मातहती मे था। शामिल मिसिल नक्शा-नजरी व आरोप पत्र उनके लेख व हस्ताक्षर मे है, जिसकी मै पुष्टि करता हूं। नक्शा-नजरी पर प्रदर्श क-12 व आरोप पत्र पर प्रदर्श क-13 डाला गया।"

15. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी **<u>डी0 डब्ल्यू-01 हरिनरायन सिंह</u>** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "वीरेन्द्र पासी व तालुकदार सिंह दोनो मेरे गांव के हैं। मै दोनो को अच्छी तरीके से जानता पहचानता हूं। सन् 2007 में जनवरी के महीने मे तालुकदार सिंह ने वीरेन्द्र सिंह को एडवांस पैसा लेकर काम न करने पर पैसा वापस करने की बात कही थी। जिस पर वीरेन्द्र से तालुकदार को देख लेने व सब सिखाने की धमकी दिया था। वीरेन्द्र दारूबाज किस्म का आदमी है। इस बात के कुछ दिन बाद वीरेन्द्र सिंह ने एक फर्जी मुकदमा मारपीट का तालुकदार व उनके लड़के ज्वालाबक्श सिंह पर लिखा दिया था। पूर्व में वीरेन्द्र ने जो देख लेने व सबक सिखाने की धमकी दी थी वह सामने गांव के चौराहे पर प्राइमरी स्कूल के पास दोपहर मे दी थी। तारीख मुझे याद नहीं है।"

16. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी **डी0 डब्ल्यू-02 गायत्री** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "मै वीरेन्द्र व तालुकदार के गांव की रहने वाली हूं। मेरी व वीरेन्द्र की बिरादरी एक है, जो पासी है। वीरेन्द्र व उनका परिवार मुकदमेबाज व बदमाश किस्म का है। वीरेन्द्र पासी ने तालुकदार से काम करने के लिए एडवांस पैसा घटना के पहले लिया था। तालुकदार ने काम करने के लिए कहा था तो पैसा वापस करने के लिए कहा तो वीरेन्द्र ने तालुकदार व ज्वालाबक्श पर एक फर्जी मुकदमा लिखाया था। मुझे जानकारी है। इसलिए कह रही हूं, क्योंकि ज्वाला व तालुकदार ने कभी वीरेन्द्र व उनके परिवार वालों को नहीं मारा पीटा था। मुकदमा जब लिखाया था तब प्रधानी की पार्टीबन्दी मे चढ़ाने पर यह फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। गांव की होने के नाते मै सारी बातें जानती हूं।"

17. **अभियोजन का तर्कः-** अभियोजन की ओर से सर्वप्रथम अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि कथित घटना दिनांक-15.02.2007 की समय 10.30 बजे रात्रि की है। अभियुक्तगण वादी से बेगारी करवाते थे। कथित घटना वाले रात्रि 10.30 बजे अभियुक्तगण शराब के नशे मे वादी वीरेन्द्र के घर पर आये और उसे जातिसूचक शब्दों से गाली देते हुए उसका दरवाजा तोड़ने लगे। वादी डर की वजह से दरवाजा नहीं खोला तो अभियुक्तगण ने उसके घर का दरवाजा तोड़कर घर मे घुसकर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। अभियुक्तगण बीच-बचाव करने के लिए वादी की बहन गुड्डी व उसकी पत्नी कुसुमा को भी मारे-पीटे व कट्टे की बट से सिर पर मारकर घायल कर दिया। वादी के छोटे भाई जब छत पर चढ़कर गोहार मचाया तो गांव के लोग मौके पर आकर बीच-बचाव किए। अभियुक्तगण के मारने पीटने से वादी, उसकी बहन गुड्डी व उसकी पत्नी कुसुमा को चोटें आयी थी। सभी चोटहिलों का मेडिकल मुआयना दिनांक-24.02.2007 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर मे किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली मे दाखिल की गयी है जिसे चिकित्सक पी०डब्लू०-4 डा० आर०एल० यादव द्वारा साबित किया गया है। अभियोजन की ओर से दाखिल किये गये अभिलेखीय साक्ष्य को औपचारिक साक्षीगण ने विधिवत साबित किया है। कथित घटना का समर्थन चोटहिल साक्षीगण पी०डब्लू०-2 गुड्डी व पी०डब्लू०-3 कुसुमा ने भी किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतयाः सफल रहा है। अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई है।

18. **<u>बचावपक्ष का तर्कः-</u>** प्रतिउत्तर में बचावपक्ष की ओर से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि कथित घटना दिनांक-18.02.2007 की रात्रि 10.30 बजे की होना कही गयी है। घटना की सूचना वादी मुकदमा द्वारा अत्यन्त विलम्ब से दी गयी है। अभियोजन की ओर से विलम्ब का कोई भी युक्ति-युक्त कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। स्वयं वादी मुकदमा वीरेन्द्र ने अभियुक्त तालुकदार से घटना के पहले जनवरी महीने मे किसी काम के लिए एडवांस पैसा लिया था, जब वादी द्वारा बदले मे काम नहीं किया गया और पैसा भी वापस नहीं किया गया तो दोनो व्यक्तियों के बीच कहासुनी हुई जिस पर वादी मुकदमा वीरेन्द्र द्वारा देख लेने की धमकी दी गयी। इसी बात के लिए वादी वीरेन्द्र ने पिता पुत्र तालुकदार सिंह व ज्वाला बक्श सिंह को फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर फंसा दिया। कथित घटना रात्रि 10.30 बजे की बतायी गयी है। स्वयं साक्षीगण ने न्यायालय में अपने बयान में स्वीकार किया है कि उनके घर मे बिजली का कनेक्शन नहीं था, इस बावजूद भी घनी अंधेरी रात में वादी व साक्षीगण ने अभियुक्तगण की पहचान कैसे की, इसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है। मेडिकल रिपोर्ट घटना के कई दिनो बाद तैयार करायी गयी है, जिससे घटना संदेहपूर्ण प्रतीत होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

<u>निष्कर्ष</u>

अभियोजन का यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप युक्ति-युक्त संदेह से साबित करे-

19. विधि व्यवस्था **<u>श्रीमती शमीम बनाम दिल्ली राज्य जे0टी0 2018(9) 23 ए0सी0</u>** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **"**प्रत्येक आपराधिक विचारण सत्य की खोज का प्रयास (Quest) है। आपराधिक विचारण करने वाले न्यायाधीश को केवल यह देखना उत्तरदायित्व नहीं है कि किसी निर्देश को सजा न होने पाये बल्कि यह भी देखना है कि कोई दोषी व्यक्ति छूटने न पाये। दोनो समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनो लोक उत्तरदायित्व है जिसका निर्वहन प्रत्येक न्यायाधीश को करने है।**"**

20. प्रस्तुत मामले के सम्यक निस्तारण के लिए निम्न विचारणीय बिन्दु निर्मित किये जाते हैं-

(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से कराये जाने के सम्बन्ध में एवं उसका प्रभाव।

(ii) घटनास्थल के सम्बन्ध में।

(iii) आघात आख्या के सम्बन्ध में।

(iv) प्रकाश के स्रोत के सम्बन्ध में।

(v) जनता की दृष्टिगोचरता मे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के सम्बन्ध में।

<u>निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु-1 (तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से कराये जाने के सम्बन्ध में एवं उसका प्रभाव)-</u>

21. अभियोजन कथानक मे घटना दिनांक-18.02.2007 को समय 10.30 बजे रात्रि की होना कही गयी है। वादी मुकदमा द्वारा उक्त घटना की सूचना क्षेत्राधिकारी गौरीगंज सुलतानपुर, घटना के दो दिन बाद दिनांक-20.02.2007 को प्रस्तुत की गयी थी। प्रार्थना पत्र 10 ख/2 पत्रावली मे दाखिल है। वादी मुकदमा द्वारा सूचना दर्ज न होने के कारण दिनांक-26.02.2007 को पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर को एक प्रार्थना पत्र सूचना दर्ज कराये जाने के वास्ते प्रस्तुत किया गया था। अभियोग पंजीकृत नहीं होने पर धारा-156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र वादी वीरेन्द्र पासी द्वारा दिनांक-02.03.2007 को मुख्य दण्डाधिकारी के यहां प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य दण्डाधिकारी 29.03.2007 को सम्बन्धित थानाध्यक्ष अभियोग पंजीकृत करके विवेचना किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके आधार पर दिनांक-06.04.2007 को मु०अ०सं०-09/2007, अन्तर्गत धारा-323,504,506,427 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट कुल दो अभियुक्तगण तालुकदार सिंह व ज्वाला बक्श सिंह के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था जिसमें बाद विवेचना आरोप पत्र उपरोक्त दोनो अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं मे न्यायालय में प्रेषित किया गया। वादी ने अपने 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र में ही इस तथ्य का उल्लेख किया है कि थाने पर अभियोग पंजीकृत न होने के कारण उसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उस पर भी कार्यवाही न होने के कारण न्यायालय सी०जे०एम० के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी बतौर अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। न्यायालय के समक्ष अपने बयान मे वादी ने विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि वह डरवश घर मे बैठा रहा, सुबह होने पर थाने पर गया। वहां पर मुंशी को घटना की तहरीर दिया, उन्होने उसकी तहरीर नहीं लिखी। तब सी०ओ० महोदय के यहां गया। वहां पर भी कार्यवाही गयी, तब कप्तान साहब के यहां लिखित प्रार्थना पत्र एवं मानवाधिकार मे जरिए रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र टाइप कराकर उसपर अपना अंगूठा लगा कर दिया। वहां से भी कार्यवाही न होने पर सी०जे०एम० के यहां 156(3)

दं०प्र०सं० प्रार्थना पत्र टाइप कराकर दिया, तब न्यायालय के आदेश से थाना जगदीशपुर में रिपोर्ट लिखी गयी। प्रार्थी के उपरोक्त बयान से सूचना विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कारण परिलक्षित होता है, जो न्यायालय के मत मे पर्याप्त है।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **Amar Singh vs. Balwinder Singh** में यह प्रतिपादित किया है कि There is no hard and fast rule that any delay in lodging the FIR would automatically render the prosecution case doubtful. It necessary depends upon facts and circumstances of each case whether there has been any such delay in lodging the FIR which may cast doubt about the veracity of the prosecution case and for this a host of circumstances like the condition of the first informant, the nature of injuries sustained, the number of victims, the efforts made to provide medical aid to them, the distance of the hospital and the police station etc. have to be taken into consideration. There is no mathematical formula by which an inference may be drawn either way merely on account of delay in lodging of the FIR."

निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु सं०**-2** घटनास्थल के बारे में:**-**

23. प्रदर्श क-1 ता 3 में घटनास्थल वादी वीरेन्द्र पासी के घर का दरवाजा व घर के अन्दर होना कहा गया है। विवेचक सीताराम (क्षेत्राधिकारी गौरीगंज) द्वारा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार किया गया था। नक्शा-नजरी में गांव दिहौली के मध्य में वादी मुकदमा का मकान स्थित होना दर्शाया गया है। वादी के मकान के उत्तर दिशा मे तालाब, पूरब दिशा में मकान राम चरित्र, पश्चिम दिशा मे मकान बुधिराम, दक्षिण दिशा मकान सहाबू का दर्शाया गया है। वादी का सेहन उत्तर दिशा में है, उसी के सामने X स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा गाली देना, मारना पीटना व उसके बचाने थाने पर उसकी मां, बहन व पत्नी की मारना पीटना बताया गया है। A स्थान पर नल चिन्हित किया गया है, जो घटनास्थल से पाँच कदम की दूरी पर स्थित है। सेहन दरवाजे का अवलोकन करने पर दरवाजा टूटा पाया गया। नक्शा-नजरी प्रदर्श क-12 के रूप मे साबित किया गया है। वादी मुकदमा न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य बयान मे घटनास्थल का पुष्टि किया गया। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में घटनास्थल के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर वादी मुकदमा ने बताया कि घटना के समय वह अपने घर के आंगन मे लेटा था और उसके घर के लोग कमरे में थे। साक्षी ने आगे कहा कि अभियुक्तगण ने

अपने हाथ मे लिए हुए लाठी से उसका दरवाजा तोड़ रहे थे। साक्षी ने आगे कहा कि अभियुक्त तालुकदार सिंह ने पहले लात मूका से घर के अन्दर और फिर दरवाजे पर खींच कर मारा। बचाव पक्ष की ओर से पूछने पर साक्षी ने यह बताया कि टूटे दरवाजे की फोटो 6क/5 घटना के तीसरे दिन खिचवायी थी। फोटो पत्रावली मे दाखिल है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त फोटो की निगेटिव पत्रावली मे नहीं है।

24. घटना के चश्मदीद और चोटहिल साक्षी पी०डब्लू-2 श्रीमती गुड्डी और पी०डब्लू०-3 श्रीमती कुसुमा ने भी अपने मौखिक साक्ष्य से घटनास्थल को पुष्ट किया है। साक्षी पी०डब्लू०-2 से बचाव पक्ष की ओर से घटनास्थल के सम्बन्ध में प्रतिपरीक्षा की गयी है लेकिन घटनास्थल को खण्डित नहीं कराया जा सका। साक्षी पी०डब्लू०-3 श्रीमती कुसुमा से बचाव पक्ष द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नही की गयी। उसका केवल मुख्य बयान ही अंकित किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०-3 ने अपने मुख्य बयान मे घटनास्थल को पुष्ट किया है। अभियोजन की ओर से मामले के विवेचक सीताराम के वर्तमान पते व पोस्टिंग की जानकारी न होने पाने के कारण उन्हे बतौर साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उनके स्थान पर उनके साथ कार्यरत एस०आई० रामकिशोर को बतौर अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-5 न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया। साक्षी पी०डब्लू०-5 ने अपने मुख्य बयान मे यह तथ्य प्रकट किया है कि सीताराम यादव उनके सी०ओ० थे और वह उनकी मातहती मे ही कार्यरत थे। शामिल मिसिल नक्शा-नजरी का आरोप पत्र मे उनके लेख व हस्ताक्षर की पहचान करते हुए नक्शा-नजरी को प्रदर्श क-12 व आरोप पत्र को प्रदर्श क-13 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षी से उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी, मात्र एक सुझाव का पूछा गया कि साक्षी ने उच्च अधिकारियों के दबाव में मुकदमा पंजीकृत किया है। जिससे साक्षी ने इन्कार किया।

<u>निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु सं०-3 आघात आख्या के सम्बन्ध में:-</u>

25. कथित घटना में कुल तीन व्यक्तियों वादी वीरेन्द्र, श्रीमती गुड्डी व वादी की पत्नी श्रीमती कुसुमा को चोटें आने का तथ्य प्रस्तुत किया है। तीनो चोटहिलो का चिकित्सीय परीक्षण घटना के लगभग 6 दिन बाद दिनांक-24.02.2007 को किया गया था। चोटहिलों की आघात आख्या तत्कालीन चिकित्साधिकारी डा०आर०एल० यादव द्वारा किया गया था। चोटहिलों का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक बतौर अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-4 डा०आर०एल० यादव न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। साक्षी उपरोक्त द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया कि उनके द्वारा चोटहिला गुड्डी का चिकित्सीय मुआयना किया गया था। बरवक्त मुआयना चोटहिला ने मात्र बाएं घुटने मे

दर्द की शिकायत बतायी, कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी। उसी दिन शाम 04.45 बजे चोटहिला कुसुमा भी अपने पति वीरेन्द्र के साथ लायी गयी जिसे दौरान परीक्षण निम्न चोटें पायी गयीः-

चोट सं०-1 सिर पर 2 x 1 सेमी0 माथे पर नीलगू निशान जो की नाक की जड़ से 3 सेमी० ऊपर था। जिसका रंग हल्का काला था।

चोट सं०-2 खरोचदार चोट 0.7 x 0.3 सेमी० बायें कलाई के जोड़ पर बाहर की तरफ तथा पीछे की तरफ सूखा हुआ घाव था।

चिकित्सक की राय में चोटों की प्रकृति साधारण बतायी गयी और चोटें किसी कुंदालय से आना प्रतीत हुई। चोट सं०-2 रगड़ से आई थी तथा चोटें 5-6 दिन पुरानी थी। इसी प्रकार चोटहिल वीरेन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण साक्षी उपरोक्त द्वारा ही किया गया था जिसे दौरान परीक्षण निम्न चोटें पायी गयीः-

चोट सं०-1 सूखी हुई खराशदार चोट सफेदी लिए हुए 2 x 0.5 सेमी० सर पर दाहिनी तरफ जो की दाहिने आंख की भौं से 1 सेंमी० ऊपर थी।

चोट सं०-2 बायें सिर पर दर्द बताया

चिकित्सक की राय में चोट सं०-1 साधारण प्रकृति की बतायी गयी जो किसी कठोर वस्तु के रगड़ने से आई थी, तथा उक्त पाँच दिन पुरानी थी। सभी चोटहिलों को आयी चोटें दिनांक 18.2.2007 की 10:30 बजे रात की होना संभव है। आहत आख्या साक्षी उपरोक्त द्वारा साबित किया गया जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-7, प्रदर्श क-8 व प्रदर्श क-9 डाला गया।

26. वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 156(3) में चोटों के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया कि विपक्षीगण ने उसे, उसकी बहन गुड्डी व उसकी पत्नी कुसुमा को मारा पीटा था जिससे सिर में चोट लगी थी। वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया कि मुल्जिमान उसे दरवाजा तोड़कर लाठी से मारना शुरु कर दिए। जब उसकी पत्नी कुसुमा व बहन गुड्डी छुड़ाने गयी तो उनको भी मारना शुरू कर दिया। साक्षी उपरोक्त ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा मे कहा कि अभियुक्तगण के लाठी से मारने से वह जमीन पर पेट के बल गिर गया था। उसकी पत्नी व बहन उसे मार खाने से बचा रही थी। अभियुक्तगण के मारने से काफी खून गिरा था। अभियुक्त वादी मुकदमा, उसकी पत्नी व बहन की चोटों का डाक्टरी मुआयना सी०एच०सी० जगदीशपुर मे हुआ था।

27. इसी प्रकार घटना के दूसरे चोटहिला साक्षी पी०डब्लू०-2 श्रीमती गुड्डी ने भी चोटों के सम्बन्ध में अपनी मुख्य परीक्षा मे कहा कि जब उसे भाई ने अभियुक्तगण को वीरेन्द्र ने गाली देने से मना किया तो उसे बाहर ले जाकर कट्टे की बट व लाठी से मारने

लगे। साक्षी उपरोक्त ने बचाव पक्ष की ओर से पूछने पर अपनी प्रतिपरीक्षा मे कहा कि मुल्जिमानों ने उसे लाठी के हूरे से मारा था और उसका बाल पकड़े हुए थे। घटना वाले दिन चोटहिलों का चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ था, घटना के 6 दिन बाद हुआ था। घटना के तीसरे चोटहिला साक्षी पी०डब्लू० 3 श्रीमती कुसुमा ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कहा कि अभियुक्त ज्वालाबक्श अपने हाथ मे कट्टा लिए थे और तालुकदार हाथ मे लाठी लिए थे। उसके पति वीरेन्द्र को कट्टे के हूरा से मार रहे थे, जब वह और गुड्डी वीरन्द्र को बचाने दौड़ी तो उन दोनो को भी लात मूका से मारा और उसका झोटा पकड़कर जमीन पर पटक दिए। साक्षी उपरोक्त से बचाव पक्ष द्वारा उसके द्वारा मुख्य परीक्षा मे दिए गये कथनो के खण्डन करने के सम्बन्ध में भी कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। इस प्रकार तीनो चोटहिल साक्षीगण एवं चिकित्सक के बयान से चोटहिलों की आघात आख्या साबित पायी जाती है।

<u>निष्कर्ष विचारणीय बिन्दु सं०-4 प्रकाश का स्रोतः-</u>

28. वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा मुख्य परीक्षा में घटना का समय 10.30 बजे का होना बताया है। अपनी मुख्य परीक्षा मे वादी ने कथन किया है कि वह घर के आंगन मे लेटा था, बिजली जल रही थी जिससे काफी रोशनी थी। अभियुक्तगण को पहचाने जाने से सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से पूछने पर साक्षी उपरोक्त ने बताया कि उसने रोशनी मे स्पष्ट रूप से देखा कि मुल्जिम तालुकदार अपने हाथ मे लाठी व ज्वालाबक्श ने कट्टा लिया था। इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कहा कि उसके घर मे बिजली की रोशनी थी और उसने दोनो मुल्जिमानो को पहचाना था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन्होंने मुल्जिमानो को बिजली की रोशनी मे देखकर पहचाना था। अतएव उपरोक्त तथ्यो से मुल्जिमानो की घटनास्थल पर उपस्थिति साबित पायी जाती है।

29. इसी प्रकार विधि व्यवस्था **<u>State of U.P. Vs. Sheo Lal, AIR, 2009 SC 1912</u>** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि "Where the murder had taken place at night and the source of light was not indicated in the FIR and the accused and the eye witnesses were closesly related, it has been held by the Supreme Court that the evidence of eye witnesses cannot be discarded."

30. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-427 भा०दं०सं० का भी आरोप विरचित हुआ था। अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उनके द्वारा लाठी से मारकर वादी मुकदमा के दरवाजे को तोड़ा गया था। वादी मुकदमा द्वारा टूटे हुए दरवाजे की फोटो भी न्यायालय मे दाखिल की गयी थी, जिसे अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 द्वारा प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी उपरोक्त द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया गया कि मुल्जिमानो ने लाठी से मारकर उसका दरवाजा तोड़ दिया था। इसी प्रकार तथ्य के अन्य साक्षीगण ने भी अपनी मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में भी मुल्जिमानो द्वारा लाठी से मारकर उसका दरवाजा तोड़े जाने की बात कही है। अतएव अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा-427 भा०दं०सं० का आरोप साबित पाया जाता है।

31. बचाव पक्ष की ओर से कुल दो बचाव साक्षी डी०डब्लू० 1 हरिनरायन सिंह व डी०डब्लू०-2 गायत्री को परीक्षित कराया गया है। दोनो साक्षीगण ने अपने बयान में वादी वीरेन्द्र द्वारा अभियुक्तगण से काम करने के लिए एडवांस पैसा लेने की बात कही है तथा वादी को आदतन मुकदमेबाज व अपराधी किस्म का बताया गया है। अभियोजन की ओर से बचाव साक्षी डी०डब्लू० 1 हरिनरायन की विश्वसनीयता को खण्डित कराये जाने हेतु प्रतिपरीक्षा की गयी है। साक्षी ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रश्न पूछने पर यह कहा कि वादी द्वारा अभियुक्तगण को सबक सिखाने तथा देख लेने वाली बात पूर्व में न तो विवेचक को और न ही किसी उच्चाधिकारी को बतायी गयी तो साक्षी ने कहा कि यह बात किसी ने पूछी नहीं तो उसने बतायी नहीं। इसी प्रकार दूसरे बचाव साक्षी डी०डब्लू०-2 गायत्री देवी ने भी अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षा करने पर अपने मुख्य परीक्षा मे दिए बयान के बारे में घटना के बाद किसी व्यक्ति को अथवा किसी पुलिस अधिकारी को न बताने के सम्बन्ध मे केवल इतना कहा है कि उसने पुलिस वालों को विवेचना के दौरान बतायी थी, लेकिन विवेचना के दौरान गायत्री देवी का धारा-161 दं०प्र०सं० का कोई बयान विवेचक द्वारा लेखबद्ध नही किया गया। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त दोनो साक्षीगण के बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

32. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-3(1)(10) एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट का आरोप भी निर्मित किया गया था जिसके प्रावधान इस प्रकार हैं:-

> *"कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। जनता के दृष्टगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से उसको अपमानित व अभित्रास करेगा, उसे कारावास से दण्डित किया जाएगा।"*

33. विधि व्यवस्था **Swarn Singh vs State 2008(4) RCR (Criminal) 74; 2009 (2) MH. LJ 22** में यह अवधारित किया गया है कि "The incidents of insult of intimidation have to occur in place accessible to and in the presence of both these ingredient would be absolutely accessory to constitute of offence.**"** माननीय न्यायालय द्वारा पुनः यह कथन किया गया कि **"**We must, therefore, not confuse the expression place within public view' with the expression 'public place'. A place can be private place but yet within the public view.**"**

34. जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा तथा उसके परिजनो को गाली देने के प्रश्न है, वादी मुकदमा द्वारा उक्त के सम्बन्ध मे किसी स्वतन्त्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। तथ्य के बिन्दु के उपरोक्त तीनो साक्षीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा मे मुल्जिमानो द्वारा उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने की बात तो कही गयी है परन्तु साक्षी पी०डब्लू०-3 श्रीमती कुसुमा देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा मे ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुल्जिमानो ने उसे जाति की गाली नहीं दिया था। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा तथा उसके परिजनो को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने की बात साबित नहीं पायी जाती है।

35. इस प्रकार पत्रावली मे उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्यों के सम्यक विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण तालुकदार सिंह व ज्वालाबक्स सिंह के विरुद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा-323,504,506,427 भा०दं०सं० साबित पाया जाता है जबकि आरोपित आरोप अनसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा-3(1)(x) के अन्तर्गत साबित नहीं पाया जाता है।

36. अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण तालुकदार सिंह व ज्वालाबक्स सिंह को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-3(1)(x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने एवं धारा- 323,504,506,427 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी पाते हुए दण्डित किये जाने योग्य है।

आदेश

37. अभियुक्तगण तालुकदार सिंह व ज्वालाबक्स सिंह को आरोप अंतर्गत धारा-3(1)(x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त एवं धारा-323,504,506,427 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाता है।

38. अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध अपराधीगण तालुकदार सिंह व ज्वालाबक्स सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

39. विशेष सत्र परीक्षण दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश पश्चात पेश हो। दोषसिद्ध अपराधीगण तालुकदार सिंह व ज्वालाबक्स सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में भोजनावकाश पश्चात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

दिनांक-01.04.2026

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०)एक्ट
सुलतानपुर।

Abhay Pratap Singh
(Steno.)

भोजनावकाश पश्चात

39. विशेष सत्र परीक्षण की पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश पश्चात पेश हुई। दोषसिद्ध अपराधीगण तालुकदार सिंह व ज्वालाबक्स सिंह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। दण्ड के बिन्दु पर दोषसिद्ध अपराधीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

40. दोषसिद्ध अपराधी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय में करीब 19 वर्षों से मुकदमा लम्बित रहा है। दोषसिद्ध अपराधीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोषसिद्ध अपराधीगण लगातार न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते रहे हैं एवं उनके द्वारा विचारण में सहयोग किया जाता रहा है। कथित घटना कारित करने मे उसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं थी। दोषसिद्ध अपराधीगण का यह पहला अपराध है। दोषसिद्ध अपराधीगण के छोटे-छोटे बच्चे हैं तथा वे अपने-अपने घर के इकलौता कमाने वाले व्यक्ति हैं। चिकित्सक की राय में चोटहिलों को आयी चोटें साधारण प्रकृति की बतायी गयी हैं। अतः दोषसिद्ध अपराधीगण की प्रास्थिति एवं उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखते हुए उन्हे न्यूनतम दण्ड से दण्डित करने की याचना की गई।

41. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध अपराधीगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिजनो को दारू के नशे में उसके ही घर का दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुसकर मारा पीटा गया। उनके मारने से वादी मुकदमा के परिवार के कुल तीन लोगों को चोटें आयी, जिसे चिकित्सक द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर साबित किया गया है। अतः दोषसिद्ध अपराधीगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

42. बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया।

43. प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध अपराधीगण तालुकदार सिंह व ज्वालाबक्स सिंह की पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उनके पूर्व के आचरण को दृष्टगत रखते हुए तथा प्रस्तुत मामले मे लघुतरकारीय एवं गुरुतरकारीय परिस्थितियों (Aggravating and mitigating circumstances) को ध्यान मे रखते हुए निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैः-

दण्डादेश

दोषसिद्ध अपराधीगण तालुकदार सिंह व ज्वालाबक्स सिंह को मुकदमा अपराध संख्या-09/2007, विशेष सत्र परीक्षण संख्या-89/2007 में प्रत्येक कोः-

1. धारा-323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दौरान मुकदमा जेल मे बितायी हुई अवधि तथा मु0-1,000/-रूपये (एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 मास (एक मास) का साधारण कारावास भुगतना होगा।
2. धारा-504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दौरान मुकदमा जेल मे बितायी हुई अवधि तथा मु0-2,000/-रूपये (दो हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 मास (एक मास) का साधारण कारावास भुगतना होगा।
3. धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दौरान मुकदमा जेल मे बितायी हुई अवधि तथा मु0-2,000/-रूपये (दो हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 मास (एक मास) का साधारण कारावास भुगतना होगा।
4. धारा-427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दौरान मुकदमा जेल मे बितायी हुई अवधि तथा मु0-2,000/-रूपये (दो हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 मास (एक मास) का साधारण कारावास भुगतना होगा।
5. अधिरोपित जुर्माने की 50 प्रतिशत धनराशि चोटहिल/वादी मुकदमा (न होने पर) उसके विधिक वारिसानों को बतौर प्रतिकर समान रूप से प्रदान की जाए।
6. धारा-437A दं०प्र०सं०/481 भा०ना०सु०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में अभियुक्तगण की अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक अभियुक्त मु०-20,000/-रूपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल करे, उनके द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बन्धपत्र व उनके जामिनदारों द्वारा निष्पादित प्रतिभूपत्र इस निर्णय की तिथि से छह माह की अवधि तक वैध रहेंगे।
7. निर्णय की प्रति दोषसिद्ध अपराधी को निःशुल्क प्रदान की जाये।

sd/-

दिनांक-01.04.2026

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०)एक्ट
सुलतानपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

sd/-

दिनांक-01.04.2026

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश
एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०)एक्ट
सुलतानपुर।

Abhay Pratap Singh
(Steno.)